न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1096 / 2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सरोज कुमारी पुत्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**

पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 03/02/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252 / 231 केक प0न0 386 / 443 मु0न0 69 के किला न0 1 / 1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 1 / 2 की 0.0436 हैक्ट, 4 / 1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4 / 2 की 0.0528 गै0मु0 वाणिज्यक, 4 / 3 की 0.1752 हैक्ट, 9 / 1 की 0.1720 हैक्ट, 12 / 5 की 0.0005 हैक्ट कुल 0.4941 हैक्ट भूमि में 4691 / 4941 हिस्सा भूमि वादी के व 250 / 4941 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि में से 250 / 4941 हिस्सा यानि 0.0250 हैक्ट भूमि रास्ता के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई जो अनवानी वाद सुभाष बनाम स्टेट आदि में निर्णय दिनांक 08.08.2024 में निर्णय पारित कर खाता स0 252 / 231 के प0न0 386 / 443 के किला न0 9 / 1 की 0.1720 हैक्ट भूमि के मध्य में से पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज हो चुका है लेकिन उक्त हिस्सा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादीया स0 1 ने अपनी सहमति से ही रास्ता स्वीकृत करवाया है तथा प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज समस्त 2 बिस्वा भूमि को गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया गया है अब सरोज देवी के नाम से कोई भूमि शेष नही बची है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि अपना नाम कलमजन करवाकर रोही मौजा 16 डीपीएन के खाता स0 252 / 231 के प0न0 386 / 443 के किला न0 9 / 1 की 0.1720 हैक्ट भूमि के मध्य में से पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये [illegible] वादी के वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:08:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/231 केक प0न0 386/443 मु0न0 69 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 1/2 की 0.0436 हैक्ट, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/2 की 0.0528 गै0मु0 वाणिज्यक, 4/3 की 0.1752 हैक्ट, 9/1 की 0.1720 हैक्ट, 12/5 की 0.0005 हैक्ट कुल 0.4941 हैक्ट भूमि में 4691/4941 हिस्सा भूमि वादी के व 250/4941 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि में से 250/4941 हिस्सा यानि 0.0250 हैक्ट भूमि रास्ता के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद की गई जो अनवानी वाद सुभाष बनाम स्टेट आदि में निर्णय दिनांक 08.08.2024 में निर्णय पारित कर खाता स0 252/231 के प0न0 386/443 के किला न0 9/1 की 0.1720 हैक्ट भूमि के मध्य में से पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज हो चुका है लेकिन उक्त हिस्सा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीया स0 1 ने अपनी सहमति से ही रास्ता स्वीकृत करवाया है तथा प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज समस्त 2 बिस्वा भूमि को गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया गया है अब सरोज देवी के नाम से कोई भूमि शेष नही बची है। प्रतिवादी स0 1 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/231 केक प0न0 386/443 मु0न0 69 के किला न0 1/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 1/2 की 0.0436 हैक्ट, 4/1 की 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता, 4/2 की 0.0528 गै0मु0 वाणिज्यक, 4/3 की 0.1752 हैक्ट, 9/1 की 0.1720 हैक्ट, 12/5 की 0.0005 हैक्ट कुल 0.4941 हैक्ट भूमि में 4691/4941 हिस्सा भूमि वादी के व 250/4941 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उक्त भूमि में से 250/4941 हिस्सा यानि 0.0250 हैक्ट भूमि रास्ता के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खरीद

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:08:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की गई जो अनवानी वाद सुभाष बनाम स्टेट आदि में निर्णय दिनांक 08.08.2024 में निर्णय पारित कर खाता स0 252/231 के प0न0 386/443 के किला न0 9/1 की 0.1720 हैक्ट भूमि के मध्य में से पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता दर्ज हो चुका है लेकिन उक्त हिस्सा राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज चला आ रहा है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीया स0 1 ने अपनी सहमति से ही रास्ता स्वीकृत करवाया है तथा प्रतिवादीया स0 1 के नाम दर्ज समस्त 2 बिस्वा भूमि को गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया गया है अब सरोज देवी के नाम से कोई भूमि शेष नही बची है, वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादी स0 1 द्वारा स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/231 की कुल 0.4941 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 386/443 के किला न0 9/1 की 0.1720 हैक्ट भूमि के मध्य में से पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:08:01 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 1096/2024

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र रामसिंह जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ तहसील नोहर।

– वादी

बनाम्

1. सरोज कुमारी पुत्री जैसाराम जाति मेघवाल निवासी उज्जलवास तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 1096 सन 2024 निर्णय दिनांक 03/02/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 16 डीपीएन तहसील नोहर के खाता स0 252/231 की कुल 0.4941 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प0न0 386/443 के किला न0 9/1 की 0.1720 हैक्ट भूमि के मध्य में से पूर्व से पश्चिम 0.0250 हैक्ट गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 03/02/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.02.24 19:08:01 IST
Reason: SelfAttested